मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
"मंत्रालय"

क्रमांक/110/CS/2017/ भोपाल दिनांक 09 मई, 2017

प्रति,

1. समस्त कमिश्नर,
   मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्य प्रदेश

विषयः "रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई", "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" को सम्पूर्ण प्रदेश में सफलतापुर्वक क्रियान्वयन करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के दिशा निर्देश बावत।

मध्यप्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की मॉनिटरिंग, प्रगति, पाठयक्रम निर्धारण एवं प्रमाणीकरण के लिए कार्यरत एमपीसीवेट के उदेश्यों को और सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से उसके स्वरुप और भूमिका में संशोधन कर मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (एमपीएसएसडीएम) का गठन किया गया है।

कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश राज्य में कौशल विकास को प्रभावी बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए समर्पित है । उसी तारतम्य में "रोजगार की पढाई ,चलें आईटीआई", नवीन कौशल विकास योजनायें "मुख्यमंत्री कौशल संबर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" का शुभारंभ भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रुड़ी द्वारा एवं अन्य जिलों में मंत्रियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक साथ 11 मई को प्रदेश के सभी 51 जिलों की आईटीआई से किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य 9 वी एवं 10 वी के बच्चों को आईटीआई में प्रवेश हेतु एवं नवीन प्रारंभ होने वाली कौशल विकास योजनाओं में अल्पावधि रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम में प्रशिक्षण हेतु युवाओं को प्रेरित करना है।

1. **मुख्यमंत्री कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार (CM Skill Excellence Award)** – इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों हेतु राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना बनाई गई है। जिसमें इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं जन–जन तक पहुंचाने में सहयोग देने वाले अधिकारियों यथा – कमिश्नर, कलेक्टर एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ संभागीय, जिला,ब्लाक एवं ग्राम स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिवर्ष **विश्व युवा कौशल दिवस** 15 जुलाई को पुरस्कृत किया जायेगा। इस वर्ष पुरस्कार के लिये "रोजगार की पढ़ाई, चलें आईटीआई" अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" का प्रभावी मोबिलाइजेशन घटक होंगे। आगामी वर्षों के लिये पुरस्कार योजना के प्राथमिक तौर पर निम्नलिखित घटक होंगे–

   - विकासखंड एवं जिला स्तर पर आईटीआई में प्रवेश हेतु, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में पंजीकृत प्रशिक्षणार्थी की संख्या।
   - रोजगार की पढ़ाई, चलें आईटीआई अभियान अंतर्गत ग्रीष्मकालीन कैंप में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या।
   - विकासखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कौशल जन जागरण मेला एवं रोजगार मेला।

- योजना में प्रशिक्षित छात्रों के लिए स्वरोजगार एवं नियोजन की संख्या।
- इन योजनाओं को सफल बनाने हेतु किये गये नवाचार ।
  पुरस्कार योजना की विस्तृत जानकारी एवं नामांकन प्रक्रिया शीघ्र ही भेजी जाएगी।

2. **रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई अभियान**

उद्देश्य –

- आईटीआई में प्रवेश हेतु जागरूक/प्रेरित/उन्मुख करना।
- ड्राप आउट बच्चों को मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना जैसे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना।
- अन स्किल्ड वर्कफोर्स को स्किल्ड वर्कफोर्स में परिवर्तित करना और उन्हें रोजगार के दरवाजे तक पहुँचाना।
- कौशल विकास योजनाओं को जन –जन तक पहुँचाना।

रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई अभियान– रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई अभियान चरणबद्ध तरीके से 11 मई 2015 से 30 जून 2017 तक चलेगा।

- प्रथम चरण –स्कूल के छात्र ध्छात्राओं हेतु ग्रीष्मकालीन कैंप– दिनांक 11 मई 2015 से 26 मई 2017 तक
- द्वितीय चरण –ग्रीष्मकालीन कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का प्रदेश स्तर भोपाल में सम्मान –दिनांक –30 मई 2017
- तृतीय चरण – 9वीं एवं 10वीं के छात्रों का आईटीआई में भ्रमण –दिनांक 1 जून से 15 जून 2017 तक
- चतुर्थ चरण – आईटीआई के अधिकारियों द्वारा अभियान एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्कूलों में भ्रमण दिनांक –15 जून से 30 जून 2017 तक।

3. **"मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्या योजना"** – इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं महिलाओं को अल्पावधि रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम में प्रशिक्षित कर रोजगार/स्वरोजगार योग्य बनाना है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं को एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए प्रारंभिक चरण में 19 सेक्टरों का चयन किया गया है। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमे प्रदेश, देश एवं देश के बाहर वैतनिक रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास की अपार संभावनाएं हैं।

उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं–

- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना अल्प अवधि कौशल प्रशिक्षण हेतु बनाई गई है, जिसमे प्रवेश हेतु 15 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिलाएं पात्र होंगी एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में 15 वर्ष से अधिक उम्र की केवल महिलाएँ पात्र होंगी।
- प्रशिक्षण की अवधि 15 दिवस से 09 महीने की होगी। जिसमे भारत सरकार की इकाई एनएसडीए द्वारा निर्धारित मानदंड नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा और राष्ट्रीय मानकों पर आधारित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- इस प्रमाण पत्र की स्वीकार्यता संपूर्ण देश में होगी। योजना अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों में से 70 प्रतिशत को रोजगार/स्वरोजगार प्रदान करने का प्रावधान भी है।

- इन योजनाओं अंतर्गत रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के तहत अनौपचारिक रूप से अनुभव प्राप्त प्रशिक्षित/हुनरमंद कामगारों के प्रमाणीकरण का प्रावधान भी है।
- इन योजनाओं के लिये एक पोर्टल ssdm.mp.gov.in का पृथक से निर्माण किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ही प्रशिक्षण से संबंधित पंजीयन, बायोमैट्रिक उपस्थिति, प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण उपरांत ऑनलाइन प्रमाण पत्र, नियोजन की मॉनीटरिंग एवं नियोजन के पश्चात तीन माह तक मॉनीटरिंग की जावेगी।
- प्रशिक्षण शासकीय, अर्धशासकीय एवं विख्यात निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

4. **District level Mission Management Unit** – योजना शुभारंभ के पूर्व युवाओं/महिलाओं को कौशल संवर्धन की इन योजनाओं का लाभ सहज एवं सरल ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं सक्रिय करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौशल उन्नयन की उक्त योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में DLMMU की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसके मुख्य पदाधिकारियों में कलेक्टर–अध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत–उपाध्यक्ष, आईटीआई नोडल प्राचार्य–सचिव, अन्य विभागों के जिला पदाधिकारी एवं उद्योगों के प्रतिनिधि–सदस्य हैं। DLMMU से निम्नलिखित अपेक्षाएं की जा रही हैं –
   - जिला कलेक्टर स्तर पर योजनाओं की मासिक प्रगति बैठक।
   - जिलास्तर पर योजनाओं को जनसाधारण तक पहुँचाना और प्रभावी मोबिलाइजेशन करना।
   - योजनाओं से जुड़े हुए विभागों के साथ संपर्क और कन्वर्जेन्स।
   - प्रशिक्षण कार्यक्रमों व केन्द्रों का फील्ड निरीक्षण करना और एमपीएसएसडीएम को अवगत कराना।
   - कौशल जन जागरण मेला एवं रोजगार मेलों का आयोजन।
   - जिला स्तर पर मुख्य नियोक्ताओं का चयन करना और प्रशिक्षणार्थियो के प्रभावी नियोजन हेतु कार्य करना।
   - "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देना।

   DLMMU के विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देश है कि आपके द्वारा प्रति सप्ताह ली जाने वाली टी.एल. समीक्षा बैठकों में तथा समय–समय पर निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकों के "एजेंडा" में "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" को प्राथमिकता से लेते हुए केन्द्रित किया जावे। लक्ष्य समूह को प्रोत्साहित एवं सक्रिय करने में ग्राम पंचायत स्तर के सचिव, ग्राम कोटवार, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंच, सरपंच, पार्षद, लोक कला समूह, स्व–सहायता समूहों की भूमिका अग्रणी होगी। अतः विशेष रूप से समन्वय एवं सहयोग के लिए प्रेरित करें। उपरोक्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजनाओं को जन–जन तक पहुँचाने में आपका सहयोग आपेक्षित है।

संलग्न :–योजना की विस्तृत जानकारी पत्र के साथ संलग्न है।

(बसंत प्रताप सिंह)
मुख्य सचिव